[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 27/2019-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2019

सा.का.नि. (अ).- केन्दीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, सा.का.नि. सं.153(अ) तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम सं. 26 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर "शून्य" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) क्रम सं. 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"38क	41	सभी प्रकार की शोधित और अशोधित खाल, चर्म और चमड़ा	40"।

[फा.सं. 334/ 3 /2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण–मूल अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i), सा.का.नि. सं. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 51/2018-सीमाशुल्क, तारीख 9 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 621(अ), तारीख 9 जुलाई, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई ।